



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062020-220048
CG-DL-E-20062020-220048

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1745]
No. 1745]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ ज्येष्ठ 28, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISHTHA 28, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

का.आ. 1961(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 2635(अ.), दिनांक 5 अगस्त, 2019, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) कर्नाटक राज्य के चिक्कमंगलूरु जिले के चिक्कमंगलूरु, तरीकेरे और नरसिम्हा राजा पुरा तालुकों और शिवमोग्गा जिला के शिवमोग्गा और भद्रावथी तालुकों में स्थित है और 13° 22' से 13° 47' अक्षांश, 75° 29' से 75° 45' पू देशांतर के बीच स्थित है;

और, शुरू में इस क्षेत्र को 1951 में जागड़ा घाटी अभयारण्य घोषित किया गया था। बाद में, क्षेत्र को वर्ष 1974 में 492.46 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के लिए अधिसूचना संख्या एएफडी 25 एफडब्ल्यू 174 दिनांक 6 सितंबर, 1974 को भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) के रूप में पुनः गठित किया गया था। अंतिम अधिसूचना वर्ष 1988 में जी.ओ.सं. एफईई 58 एफडब्ल्यूएल 96 दिनांक 9 मार्च, 1998 को जारी की गई थी। इसके बाद, अभयारण्य से 12 ग्रामों से 418 परिवारों के स्थान परिवर्तन के बाद, 8 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र को कई अन्य अधिसूचनाओं के अधीन वर्ष 2010 में अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। अभयारण्य में खंड-क में 14 रिज़र्व वन और 2 लघु वन और खंड-ख में एक रिज़र्व वन शामिल है। अभयारण्य का वर्तमान क्षेत्रफल 500.16 वर्ग किलोमीटर है जिसमें भद्रा जलाशय का पञ्चजल का 87 वर्ग किलोमीटर शामिल है;

और, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) अरमबल्ली, काकाना होसुदी, उम्बलेब्यलू और चोरानादाहल्ली रिज़र्व वनों से होते हुए जुड़कर उत्तर-पश्चिम के शेट्टीहलल्ली वन्यजीव अभयारण्य के साथ निकटस्थ है। अभयारण्य जी.ओ.आई.पत्र. सं.-1-17/94- पीटी दिनांक: 23 दिसंबर, 1998 और कोट संकटग्रस्त बाघ वास कर्नाटक सरकार की अधिसूचना सं.एफईई- 299 एफडब्ल्यूएल 2007 दिनांक 20 दिसंबर, 2007 को रिज़र्व वन घोषित किया गया था;

और, बाघ रिज़र्व में शुष्क और आर्द्र पर्णपाती और अर्धसदाबहार वनों सहित विभिन्न वनों के प्रकार हैं और अभयारण्य सीमा के अंतर्गत केम्पनगुंडी क्षेत्र में शोला घासभूमि वनस्पति भी है;

और, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) वृहत् स्तनधारियों की प्रजातियों को अच्छे घनत्व का आश्रय प्रदान करता है और स्तनधारियों की 42 प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं। इस अभयारण्य में मुख्य वन्यजीव पाए जाते हैं जिसमें बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, रीछ, हाथी, गौर, सांभर, पिसूरी, सूरज भगत शामिल है। यहां पक्षियों की निकटतम 264 प्रजातियों की पहचान की गई है जिसमें मालाबार पाइड धनेश, ग्रेट पाइड धनेश, मालाबार ग्रे धनेश (हॉर्नबिल) शामिल है जोकि पश्चिम घाटों और अन्य प्रजातियों के लिए स्थानिक है। इस अभयारण्य में किंग कोबरा और मार्श मगरमच्छ और अन्य सरीसृप भी पाए जाते हैं;

और, अभयारण्य के भाग से भद्रा नदी को पार कर भद्रा जलाशय बनाया गया है। यह संरक्षित क्षेत्र अन्य महत्वपूर्ण धारा प्रवाह का जल ग्रहण क्षेत्र भी है जिसमें सोमावाहिनी, ताडाबेहल्ला शामिल है जोकि अभयारण्य से बहते हुए जाती है और आखिरकार भद्रा नदी से जुड़ती है और भद्रा नदी को पार करके भद्रा जलाशय बनाया गया;

और, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) में वनस्पति की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) प्रजातियां बिल्वे पाथरे (*एगले मार्मेलोस*), डिंडिगा (*एनोगेइसस लैटिफोलिया*), मुथुगा (*बुटिया मोनोस्पर्मा*), उरुगलु (*क्लोरोक्साइलॉन स्विटिएनिया*), बिते (*डालबर्गिया लैटिफोलिया*), कामरा (*हार्डविकिया बिनाटा*), होन्ने (*प्टेरोकार्पस मर्सुपियम*), श्रिगंधा (*सैंटलम एल्बम*), सागडे (*श्लेचेरा ओलोसा*), मट्टी (*टर्मिनलिया पैनिकुलाटा*), तारे (*टर्मिनलिया वेलेरिका*), हेल, हलगौरी (*राइटिया टिनक्टुरिया*), जलारी (*शोरिया*) आदि पाई जाती हैं;

और, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) में स्तनधारियों की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) प्रजातियां बाघ (*पेन्थेरा टिगरिस*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), तेंदुआ बिल्ली (*फेलिस चाउस*), तेंदुआ बल्ली (*फेलिस बेंगालेंसिस*), जंगली कुत्ता (*कुओन अल्पाइंस*), हाथी (*एलिफस मैक्सीमस*), गौर (*बोस गोरस*), सांभर (*केरवुस यूनीक्लोर*), चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), पिसूरी (*तरगुलुस मिमिन्ना*) भारतीय

बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), साल (*मानिस क्राससीसौडाता*), साही लंगूर (*प्रेस्विटिस इन्तेल्लु*), बोनट मकाक्य (*मकाका राडिअटे*), स्लेंडर लोरिस (*लोरिस टरडिग्रडस*), छोटा भारतीय सिविट (*विविरेकुला इंडिका*), मालाबार सिविट (*विवेर्ग मेगास्पिला*) सामान्य पाम (*सीविट पारदोसुरुस हेर्माफ्रोडीतूस*), सामान्य नेवला (*हर्पस्टेस एडवर्डसी*), स्ट्रिपनेकेद नेवला (*हर्पस्टेस विट्टीकोल्लिस*), ब्राउन नेवला (*हर्पस्टेस फुस्क*), रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), ट्रावनकोर उडन गिलहरी (*पेटाउरिस्ता पेटाउरिस्ता*), मालाबार उडन गिलहरी (*रतुफा इंडिका*), भारतीय साही (*हिस्ट्रीक्स इंडिका*), भारतीय खरगोश (*लेपुस निगरिकोल्लिस*), सामान्य ओट्टर (*लुतरा लुतरा*), चित्तीदार लकड़बग्घा (*हैना हैना*), सियार (*कैनेस ऑरियस*), डस्की धारीधार गिलहरी (*फनाम्बुलुस सुबलिनेटस*), ग्रे मुसक शेरुव (*सुंकस मुरिनस*), इंडियन पिपिस्ट्रेल (*पिपिस्ट्रेलस कोरोमांड्रा*), फ्लाइंग लोमड़ी (*प्रटेरोपस गिगंटस*), स्लेंडर लोरिस (*लोरिस टरडिग्रडस*), सामान्य पाम सिविट (*पारदोसुरुस पारदोसुरुस*), आदि पाई जाती हैं;

और, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) में पक्षियों की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) प्रजातियां जंगल बब्बलर (*तुरडोइडेस स्ट्रिएटस*), ब्लैक-हेडेड बब्बलर (*रहोपोसचला अटरिकेपस*), सामान्य बब्बलर (*तुरडोइडस कौडातुस*), रूफ-बेल्लिड बब्बलर (*डुमेटिया हाइपरथ्रा*), स्लैटी-हेडेड स्किमिटर-बब्बलर (*पोमाटोरहिनस स्किस्टीकेप्स*), स्पोट्टेड बब्बलर (*पेल्लोरनेउम रूफिकेपस*), क्वेकर बब्बलर (*अलकिप्पे पोइओइकेफला*), रेड-व्हिस्केरेड बुलबुल (*पिक्रोनटस जोकोसुस*), रेड-वेंटेड बुलबुल (*पाइकोनोटस कफेर*), यलो-ब्राउन बुलबुल (*हिप्सिपेट्स इंडिकस*), व्हाइट-ब्रोवेड बुलबुल (*पिक्रोनटस लुटेओलुस*), ब्लैक बुलबुल (*हिप्सिपेट्स मादागास्केरिइंसिस*), रूबय-थ्रोटेड बुलबुल (*पाइकोनोटस मेलानिकटेरुस गुलारिस*), चितकबरा बुशचैट (*सैक्सिकोला कापरता*), कॉलरड बुशचैट (*सैक्सिकोला टोरक्याटा*), ब्लैक रेड स्टार्ट (*फोएनिकरुस ओचरुरोस फोएनिकरोईड*), ब्लैकबर्ड (*तुरडुस मेरुला*), ब्लैक-हेडेड बुंटीग (*इमबेरेजा मेलानोकेफाला*), क्रिमसन ब्रेस्टेड बारबेट (*मेगालाइमा हेइमाकेफला*), क्रिमसन थ्रोटेड बारबेट (*मेगालाइमा रूबरिकापिल्ला रूबरिकापिल्ला*), लार्ज ग्रीन बारबेट (*मेगालाइमा जेलनिका*), चेस्टनट-हेडेड बी-ईटर (*मेरोप्स लेसचेनॉल्टीए*), ब्लू बेअरडेड बी-ईटर (*निक्टयोर्निस अथेरटोनि*), ग्रीन बी-ईटर (*मेरोप्स ओरिएंटलिस*), मलायन नाइट बगुला (*गोरसाचिउस मेलानोलोफस*), आदि पाई जाती हैं;

और, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) में सांपों की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) प्रजातियां किंग कोबरा (*ओपहीओफगस हन्नह*), भारतीय कोबरा (*नाजा नाजा*), सामान्य भारतीय करैत (*बुंगारुस केइरूलेउस*), रूस्सेल विपर (*विपेरा रूस्सेल्लइ*), बम्बौ पिट विपर (*त्रिमेरेसुरुस ग्रामीनुस*), हुम्प नौसेड पिट विपर (*हिप्राले हिप्राले*), सामान्य वोर्म सांप (*तिफ्लिन ब्रामिना*), शील्ड टेल (*उरोपेल्टिस ओसलातुस*), भारतीय रॉक पायथन (*पायथन मोलुरुस*), त्रिकेट सांप (*केलोगनाथुस हेलेना*), सामान्य कुकरी सांप (*ओलिगोदों अरनेसिस*) ब्रॉज-बैकेंड ट्री सांप (*डेन्ड्रेलाफिस ट्रिस्टिस*), फ्लाइंग सांप (*चरयसोपेला ओरनाटा*), चैकेरेड कैलबैक सांप (*क्सेनोक्रोफिस पिस्काटोर*), आदि पाई जाती है;

और, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) में दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आर ई टी) प्रजातियां सामान्य मगरमच्छ (*क्रोकोडायल पेलस्ट्रिस*), मॉनिटर लिजार्ड (*वारानस फलावेस्केनस*), मुग्गेर हर्ष मगरमच्छ (*क्रॉकोडैलुस पालुस्ट्रीस*), भारतीय काला कछुआ (*मेलानोचेल्स त्रिजुगा*), भारतीय फ्लैशेल कछुआ (*लिससेमिस पुनेटाटा*), रॉक्स वन कलोटेस (*कलोटेस रॉक्सी*), ड्रैको फ्लाइंग लिजार्ड (*ड्रैको दुसुमियरी*), चामेइलेओन (*चामेइलेओन ज़ेलानिक्स*), कीलेड भारतीय मबुया (*मबुया करीनटा*), सामान्य भारतीय मॉनिटर (*वारानस बेंगालेंसिस*), आदि पाई जाती है;

और, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी

संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य के चिक्कमंगलुरु और शिवमोग्गा जिला के भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) की सीमा के चारों ओर 1.0 किलोमीटर से 12.5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व), की सीमा के चारों ओर 1.0 किलोमीटर से 12.5 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 740.56 वर्ग किलोमीटर है।
 - (2) भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।
 - (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन करते हुए भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) का मानचित्र **उपाबंध-II** के रूप में उपाबद्ध है।
 - (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।
 - (5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-V** के रूप में उपाबद्ध है।
 - (6) भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत स्थित अधिसूचित रिज़र्व वनों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।
2. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.**-(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।
 - (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।
 - (3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन और वन्यजीव;
 - (iii) कृषि;

- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) कर्नाटका राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृहवास; और
- (v) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण

प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ),

तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की 1995 द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सी) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित की जाएंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016, में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	जलावन लकड़ी का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू

		दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियमों और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।

	संचलन।	
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	साहसिक मोटर क्रिडा।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	वायुगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर	पदेन अध्यक्ष;
(ii)	माननीय विधानसभा सदस्य, चिक्कमंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र, चिकमंगलुरु जिला	सदस्य;
(iii)	माननीय विधानसभा सदस्य, श्रृंगेरी निर्वाचन क्षेत्र, चिक्कमंगलुरु जिला	सदस्य;
(iv)	माननीय विधानसभा सदस्य, तारिकेरे निर्वाचन क्षेत्र, चिक्कमंगलुरु जिला	सदस्य;
(v)	विधान सभा के सदस्य, भद्रावती निर्वाचन क्षेत्र, शिवमोग्गा जिला	सदस्य;
(vi)	माननीय विधान सभा सदस्य, शिवमोग्गा निर्वाचन क्षेत्र, चिक्कमंगलुरु जिला	सदस्य;
(vii)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि, कर्नाटक सरकार	सदस्य;
(ix)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(x)	क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर	सदस्य;
(xi)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामित राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(xii)	राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य	सदस्य;
(xiii)	उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि, चिक्कमंगलुरु जिला	सदस्य;
(xiv)	मुख्य वन संरक्षक और निदेशक, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिजर्व), चिक्कमंगलुरु	सदस्य- सचिव।

6.विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[फा. सं. 25/14/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

कर्नाटक राज्य में भद्रा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर:-

सीमा ककनाहोसुदी-सिद्दामाजी होसुर और कैथोट्टु ग्रामों के त्रि-जंक्शन बांधों से आरंभ होती है, रेखा ककनाहोसुदी-बैरापुरा उम्बलेबायलु और हुनसेकट्टे ग्राम की उत्तरी सीमा की उत्तरी सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है यह हुनसेकट्टे-हुलियारमानकोप्पा और कलानायाकनाकटे ग्राम के त्रि-जंक्शन बांध से मिलती है।

पूर्व:-

इसके बाद रेखा हुनसेकट्टे, थम्मादिहल्ली, गोनीबीदु, मल्लेनाहल्ली, थावरियरघाटा, नेल्लीसार, हुनासेनाहल्ली, कांचीकोप्पा, दोद्वारकुन्दुर, हरूवानाहल्ली और बरागेनाहल्ली की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाती है यह बरागेनाहल्ली और वद्वारादिब्बा ग्रामों के भूभाग बांधों से मिलती है इसके बाद रेखा रेखा बरागेनाहल्ली-गुरुपुरा- वद्वाराबीरानाहल्ली, नंदीबटलु-रंगनाथापुरा- कल्लाथीपुरा-कामनादुर्गा अत्तीगिरि ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण पूर्वी दिशा में जाती है इसके बाद रेखा दात्ताश्रेया पीता-कोलागेम, मालागरू-कोलागेम, पंदारावल्ली ग्रामों की पूर्वी सीमाओं के साथ दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद रेखा बायरावली की सीमा के साथ जाती है और बायरावल-चन्नागोंदानाहल्ली एवं जाकानाहल्ली ग्राम के त्रि-जंक्शन बांधों से मिलती है।

दक्षिण:-

इसके बाद रेखा बेयरावली, सिरावसे, बोगसे, बासापुरा, कादावन्थी और देवदाना ग्रामों की दक्षिणी सीमाओं के साथ पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती है और भद्रा नदी के तट में देवदाना, बत्रुर और बी. कनाबूर के त्रि-जंक्शन बांधों से मिलती है।


पश्चिम: -

इसके अतिरिक्त, रेखा देवदाना-केरेहदलु के पश्चिम सीमाओं के साथ उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व दिशाओं में जाती है और मदुगुनी, कोलाले और अदुवल्ली ग्रामों, भद्रा नदी को पार करके और अदुवल्ली-अलेहल्ली की पश्चिम सीमा, सरया, सलुर के त्रि-जंक्शन बांधों से मिलती है और सलुर-नंदीगवे और हेब्बे ग्रामों के त्रि-जंक्शन बांधों से मिलती है इसके बाद रेखा लिंगापुरा ग्राम की सीमा के साथ भद्रा जलाशय, अरमबली आरक्षित वन की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है और आरंभिक बिंदु से मिलती है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की बाहरी सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी वन और गैर वन भद्रा वन्यजीव अभयारण्य के कोर क्षेत्र को छोड़कर पहले ही ऊपर वर्णित है।

उपाबंध-II क

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मानचित्र आई डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेंड	डिग्री	मिनट	सेकेंड
1	13	45	12.96	75	33	52.92
2	13	44	38.40	75	36	5.04
3	13	46	10.20	75	36	15.12
4	13	45	56.88	75	37	24.96
5	13	44	7.80	75	38	5.64
6	13	42	53.28	75	37	10.92
7	13	41	31.56	75	37	58.44
8	13	40	4.08	75	39	48.96
9	13	39	30.96	75	42	10.80
10	13	37	43.32	75	43	8.76
11	13	39	2.88	75	43	11.64
12	13	37	41.52	75	44	34.44
13	13	36	24.84	75	44	50.64
14	13	34	44.40	75	42	0.00
15	13	34	19.20	75	38	10.32
16	13	31	21.72	75	35	21.48
17	13	33	0.00	75	41	20.40
18	13	29	59.64	75	42	31.68
19	13	25	48.00	75	41	40.20
20	13	27	8.64	75	40	14.88
21	13	23	35.88	75	38	48.84
22	13	26	10.32	75	38	30.12
23	13	27	36.36	75	36	2.16
24	13	45	12.96	75	35	8.16
25	13	44	38.40	75	33	21.24
26	13	24	27.72	75	31	42.60
27	13	24	9.36	75	32	54.60
28	13	26	31.56	75	34	4.80
29	13	23	15.36	75	34	13.44
30	13	22	35.76	75	31	45.84
31	13	23	1.32	75	31	0.48
32	13	22	43.32	75	29	29.40
33	13	23	58.56	75	29	7.80
34	13	24	42.12	75	30	35.64
35	13	25	21.72	75	29	56.76
36	13	26	48.84	75	31	24.60

37	13	29	20.76	75	31	44.40
38	13	33	8.28	75	34	27.12
39	13	34	56.64	75	35	47.76
40	13	34	58.80	75	34	58.80
41	13	40	8.04	75	33	23.40
42	13	41	24.36	75	35	20.76
43	13	42	13.68	75	34	17.04
44	13	40	37.56	75	34	0.84
45	13	42	43.20	75	33	45.00
46	13	44	21.12	75	33	56.52
47	13	44	23.28	75	31	48.00
48	13	33	23.76	75	44	56.40
49	13	32	13.92	75	45	38.16
50	13	32	40.20	75	46	28.56
51	13	30	56.16	75	46	27.12
52	13	30	3.60	75	44	13.20
53	13	31	5.16	75	44	22.20
54	13	24	27.72	75	31	42.60

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मानचित्र	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेंड	डिग्री	मिनट	सेकेंड
1	13	45	43.92	75	31	38.64
2	13	45	55.08	75	32	32.64
3	13	46	37.20	75	34	26.04
4	13	47	52.80	75	34	49.08
5	13	47	53.88	75	38	11.40
6	13	45	57.60	75	38	39.84
7	13	45	41.04	75	39	39.60
8	13	43	34.68	75	40	31.80
9	13	42	8.28	75	39	39.24
10	13	41	17.52	75	42	36.00
11	13	41	30.12	75	44	25.08
12	13	36	20.52	75	47	11.76
13	13	33	47.88	75	47	48.48
14	13	31	48.72	75	47	34.44
15	13	30	30.96	75	50	0.24
16	13	26	44.16	75	45	48.24
17	13	24	29.52	75	43	14.52

18	13	23	24.36	75	40	38.64
19	13	20	57.12	75	38	48.48
20	13	22	31.80	75	35	39.12
21	13	20	30.84	75	33	37.08
22	13	22	7.68	75	32	17.52
23	13	17	41.64	75	33	23.76
24	13	19	55.20	75	28	26.40
25	13	20	9.96	75	26	19.68
26	13	22	57.72	75	26	6.72
27	13	26	0.24	75	28	40.80
28	13	28	26.76	75	28	19.92
29	13	30	20.16	75	27	57.96
30	13	31	24.60	75	31	17.76
31	13	33	25.20	75	31	47.64
32	13	34	24.60	75	34	59.16
33	13	36	46.08	75	34	1.92
34	13	34	37.20	75	31	29.64
35	13	35	35.88	75	30	54.36
36	13	36	42.48	75	32	22.56
37	13	38	13.20	75	33	25.20
38	13	37	0.12	75	29	57.12
39	13	39	25.56	75	33	25.20
40	13	39	39.24	75	31	59.88
41	13	39	52.20	75	33	11.16
42	13	39	44.28	75	28	55.20
43	13	41	21.12	75	28	22.44
44	13	42	53.28	75	27	57.24
45	13	44	27.24	75	29	53.16

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की

सूची

मानचित्र	ग्राम	तालुक	जिला	क्षेत्र हेक्टेयर	अक्षांश			देशांतर		
					डिग्री	मिनट	सेकेंड	डिग्री	मिनट	सेकेंड
1	लक्कावल्ली	तरीकेरे	चिक्कमंगलुरु	382.21	13	42	11.16	75	39	16.56
2	हुनेसेनाहल्ली	तरीकेरे	चिक्कमंगलुरु	190.71	13	41	53.52	75	38	36.60
3	उप्पारभीरानाहल्ली	तरीकेरे	चिक्कमंगलुरु	132.56	13	41	28.68	75	39	4.68

4	केनचिकोप्पा	तरीकेरे	चिक्कमंगलुरु	497.77	13	41	14.64	75	39	49.32
5	दोद्वारकुन्दुर	तरीकेरे	चिक्कमंगलुरु	537.96	13	40	35.76	75	40	53.76
6	हरुवनाहल्ली	तरीकेरे	चिक्कमंगलुरु	269.58	13	40	7.32	75	42	19.80
7	बरागेनाहल्ली	तरीकेरे	चिक्कमंगलुरु	244.30	13	40	47.64	75	42	28.08
8	गुरुपुरा	तरीकेरे	चिक्कमंगलुरु	89.12	13	39	33.84	75	43	38.28
9	गुदादाबिराहल्ली	तरीकेरे	चिक्कमंगलुरु	417.88	13	38	19.32	75	43	57.36
10	नन्दीवट्टालु	तरीकेरे	चिक्कमंगलुरु	1568.01	13	35	42.36	75	46	6.60
11	मनचेथावारु	तरीकेरे	चिक्कमंगलुरु	711.16	13	34	41.52	75	44	48.12
12	थिगादा	तरीकेरे	चिक्कमंगलुरु	703.63	13	34	34.68	75	45	40.68
13	बनीगेबायले	तरीकेरे	चिक्कमंगलुरु	667.51	13	34	26.76	75	42	42.48
14	कामनादुर्गा	तरीकेरे	चिक्कमंगलुरु	1558.67	13	31	12.00	75	47	54.60
15	रंगानाथापुरा	तरीकेरे	चिक्कमंगलुरु	674.93	13	35	42.36	75	46	6.60
16	सिंगानामाने	भद्रावती	शिवमोग्गा	568.62	13	43	11.28	75	38	3.84
17	वदीयुरु	भद्रावती	शिवमोग्गा	111.80	13	42	59.04	75	38	52.80
18	थवारघाटा	भद्रावती	शिवमोग्गा	86.27	13	43	37.92	75	38	51.00
19	मल्लेनाहल्ली	भद्रावती	शिवमोग्गा	293.64	13	43	49.80	75	39	37.08
20	नेल्लीसारा	भद्रावती	शिवमोग्गा	140.15	13	43	18.12	75	39	36.36
21	हुनासेकट्टे	भद्रावती	शिवमोग्गा	1307.61	13	47	7.08	75	37	22.80
22	थम्मादिहल्ली	भद्रावती	शिवमोग्गा	347.71	13	45	43.92	75	37	59.88
23	गोनीबीदु	भद्रावती	शिवमोग्गा	300.02	13	44	54.96	75	38	59.28
24	मल्लीगेनाहल्ली	भद्रावती	शिवमोग्गा	543.98	13	44	26.16	75	38	45.24
25	उम्बलेबायलु	शिवमोग्गा	शिवमोग्गा	423.89	13	46	45.84	75	35	4.20
26	ककनाहोसुदी	शिवमोग्गा	शिवमोग्गा	163.23	13	45	27.36	75	32	36.96
27	बायरापुरा	एन.आर.पुरा	चिक्कमंगलुरु	1230.71	13	44	58.20	75	34	31.08
28	दंदुबीट्टाहारा	एन.आर.पुरा	चिक्कमंगलुरु	1307.51	13	34	41.88	75	39	36.36
29	अदुवल्ली	एन.आर.पुरा	चिक्कमंगलुरु	1622.76	13	26	57.84	75	29	22.56
30	कोलाले	एन.आर.पुरा	चिक्कमंगलुरु	683.75	13	24	55.80	75	29	30.48
31	अलेहल्ली	एन.आर.पुरा	चिक्कमंगलुरु	298.86	13	28	16.32	75	30	14.76
32	बी कनाबुर	एन.आर.पुरा	चिक्कमंगलुरु	1293.27	13	22	32.88	75	27	0.72
33	सारया	एन.आर.पुरा	चिक्कमंगलुरु	261.26	13	30	47.52	75	32	0.24
34	सलूर	एन.आर.पुरा	चिक्कमंगलुरु	622.91	13	33	54.00	75	33	16.20
35	मधुगुनी	एन.आर.पुरा	चिक्कमंगलुरु	1116.19	13	23	4.20	75	28	13.19
36	केसाबीनमाने	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	2973.82	13	32	4.20	75	44	5.64
37	मेलिहुलुवथी	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	2656.65	13	28	46.20	75	42	7.56
38	कोलागमे	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	2374.55	13	27	11.52	75	44	3.12
39	जगारा	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	1092.16	13	25	54.48	75	39	53.64
40	मालागर	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	533.89	13	26	33.00	75	42	42.48
41	बायरावल्ली	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	1572.37	13	22	16.32	75	39	24.12
42	सिरावासे	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	2036.36	13	24	14.40	75	36	50.40
43	सुगादावनी	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	2398.59	13	26	28.32	75	35	43.44
44	विदारै	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	2115.75	13	24	48.96	75	32	9.60

45	बोगासे	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	675.31	13	23	36.96	75	34	57.72
46	बसापुर	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	472.45	13	22	42.24	75	33	6.84
47	शिरागोला	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	429.17	13	26	43.80	75	33	6.48
48	कदावन्थी	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	1563.04	13	21	40.32	75	34	15.96
49	देवधाना	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	950.27	13	19	39.00	75	31	57.72
50	मेलुगिरि	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	237.33	13	31	1.92	75	47	31.20
51	हिपला	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	298.51	13	32	58.20	75	37	32.16
52	कल्लाथिपुरा	तरीकेरे	चिक्कमंगलुरु	357.00	13	32	36.96	75	46	57.00
53	लिंगापुरा	शिवमोग्गा	शिवमोग्गा	531.00	13	44	58.56	75	31	45.48
54	अत्तीगिरि	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	600.00	13	30	24.12	75	47	13.20
55	दन्ताथरेया पीता	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	258.00	13	28	19.92	75	45	15.84
56	पंदरावल्ली	चिक्कमंगलुरु	चिक्कमंगलुरु	2188.00	13	24	3.96	75	41	28.68
57	नन्दीगावे	चिक्कमंगलुरु	एन.आर.पुरा	977.00	13	32	16.80	75	35	55.68
			कुल:	48661.36						

उपाबंध-V

भद्रा वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत स्थित अधिसूचित रिज़र्व वनों की सूची

क्र.सं.	जिला	रिज़र्व/ लघु वनों के नाम	संभाग	क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में	जी.ओ.सु./ अधिसूचना सं. एवं दिनांक
1.	चिक्कमंगलुरु	कुसगल आरक्षित वन	कोप्पा	46.15	आर 7131-एफ टी 58-03-14, दिनांक:11-12-1905
2.	चिक्कमंगलुरु	कोलाले लघु वन	कोप्पा	4.60	जी.143202- एफ टी.7-29-3, दिनांक:08.05.1930
3.	चिक्कमंगलुरु	अलेहल्ली लघु वन	कोप्पा	1.37	जी.143202- एफ टी.7-29-3, दिनांक:08.05.1930
4.	चिक्कमंगलुरु	अदुहल्ली लघु वन	कोप्पा	2.99	(i) जी-13604-एफ टी7-29-49 दिनांक: 19.05.1930
5.	चिक्कमंगलुरु	देवदाना आरक्षित वन	कोप्पा	4.55	आर 3373-एफ टी75-10-7, दिनांक 29-10-1911
6.	चिक्कमंगलुरु	मधुगुनीलघु वन	कोप्पा	8.00	आर 7131-एफ टी58-03-14, दिनांक:11-12-1905
7.	चिक्कमंगलुरु	सलुरु लघु वन	कोप्पा	4.08	(i) जी-13625-एफ टी29-40 दिनांक: 20.05.1930
8.	चिक्कमंगलुरु	तनीगेबैललघु वन	भद्रावती	4.73	जी-2072 /एफ टी7-29-53, दिनांक:16.8.1930
9.	चिक्कमंगलुरु	गुरुपुरा आरक्षित वन	भद्रावती	5.40	(i) आर.8969.72 एफ टी.118.15.4/18.3.1916 (ii) आर.8973- एफ टी.118.15- 5/ 18-03-1916
10.	चिक्कमंगलुरु	थिम्मापुरा आरक्षित वन	भद्रावती	8.09	जी-739-एफ टी62-26-5,

					दिनांक:30-05-1927 एस-429-32-एफ टी62-26-4, दिनांक:30-05-1927
11.	चिक्कमंगलुरु	नन्दीबातलु लघु वन	भद्रावती	3.60	जी ओ जी -5795-एफ टी33-39- 61 दिनांक:01-12-1930
12.	चिक्कमंगलुरु	मसकलीआरक्षित वन	चिक्कमंगलुरु	22.83	ए जी2257- एफ टी 38-44-2, दिनांक:22-11-1944
13.	चिक्कमंगलुरु	सुगुदुवनी	चिक्कमंगलुरु	2.15	खंड 4, ए एच एफ एफ-21-एफ ए एफ-93 दिनांक:08-09-1993
14.	चिक्कमंगलुरु	कुन्दुर लघु वन	भद्रावती	11.89	i) जी-5780-एफ टी33-30-56, दिनांक: 01.12.1930
15.	शिवमोगगा	तम्मादीहल्ली आरक्षित वन	भद्रावती	8.05	(i) आर-12431- एफ टी.114-16- 4/ 27-03-1919 (ii) आर-12427-30- एफ टी.114-18-4/27.03.1919
16.	शिवमोगगा	उम्बलेबायले आरक्षित वन	भद्रावती	14.40	जी आर 5907-8- एफ टी /34- 85-6 दिनांक:16-04-1905
17.	शिवमोगगा	काकनहोसुदीआरक्षित वन	भद्रावती	9.06	सं. आर. 1971-एफ टी166-099 दिनांक:03-11-1909
18.	चिक्कमंगलुरु	अरमबल्ली आरक्षित वन	कोप्पा	62.63	सं. आर -4087-एफ टी29-05-5 दिनांक:25-09-1905
19.	चिक्कमंगलुरु	त्यागादावहागी आरक्षित वन	भद्रावती	20.14	सं. आर-407- एफ टी 39-95, दिनांक:31-12-1900
20.	चिक्कमंगलुरु	कोदीहल्ली लघु वन	कोप्पा	1.57	जी -131-71-एफ टी7-29-27 दिनांक:08-05-1930
21.	चिक्कमंगलुरु	बसावनकोटे आरक्षित वन	कोप्पा	7.57	सं. 931 -10403 दिनांक:19-06-1904
			कुल	253.85	

उपाबंध-VI

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।

3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2020

S.O. 1961(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 2635(E), dated 5th August, 2019, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve) is situated in Chikkamagaluru, Tarikere and Narsimha Raja Pura Talukas of Chikkamagaluru District and Shivamogga and Bhadravathi Talukas of Shivamogga District of Karnataka State and lies between 13^o 22' to 13^o 47' N latitude, 75^o 29' to 75^o 45' E longitude;

AND WHEREAS, initially the area was declared as Jagara Valley Sanctuary in 1951. Later, the area was re-constituted as Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve) in the year 1974 *vide* notification no. AFD 25 FW174 dated the 6th September, 1974 for an area of 492.46 square kilometers. The final notification was issued in the year 1998 *vide* G.O. No.FEE 58 FWL 96 dated the 9th March, 1998. Subsequently, after the relocation of 418 families from 12 villages from the Sanctuary, an additional area of ~8 sq km was notified as Sanctuary in the year 2010 under several other notifications. The Sanctuary consists of 14 Reserved Forests and 2 Minor Forests in Block-A and one Reserve Forest in Block-B. The current area of the Sanctuary 500.16 square kilometers includes 87 square kilometers of backwaters of the Bhadra Reservoir;

AND WHEREAS, the Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve) is contiguous with Shettihalli Wildlife Sanctuary to the northwest connected through Aramballi, Kakanahosudi, Umblebylu and Choradahalli Reserved Forests. The Sanctuary was declared as a Tiger Reserve *vide* GOI letter No:1-17/94-PT dated the 23rd December, 1998 and as Core Critical Tiger Habitat *vide* Govt. of Karnataka Notification No: FEE-299 FWL 2007 dated the 20th December, 2007;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve consists of varied forest types including dry and moist deciduous and semi evergreen forests and also shola grassland vegetation in Kemmangundi area within the Sanctuary limits;

AND WHEREAS, Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve) supports good densities of large mammal species and 42 mammal species have been recorded. The major wildlife found in this sanctuary includes tiger,

leopard, wild dog, sloth bear, elephant, gaur, sambar, mouse deer, flying squirrel and otters. Nearly 264 species of birds have been identified here. Important avifauna found in the Sanctuary include Malabar pied hornbill, great pied hornbill, Malabar grey hornbill which is endemic to the Western Ghats and other species. King cobra, marsh crocodile and other reptiles are also found in this Sanctuary;

AND WHEREAS, the Bhadra Reservoir built across the Bhadra River forms a part of the Sanctuary. This protected area is also the catchment of the other important streams including Somavahini, Tadabehalla that flow through the Sanctuary and finally join the Bhadra River and the Bhadra Reservoir built across the Bhadra River;

AND WHEREAS, Rare, Endangered and Threatened (RET) species of flora found in Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve) are bilva pathre (*Aegle marmelos*), dindiga (*Anogeissus latifolia*), muttuga (*Butea monosperma*), urugalu (*Choleoxylon Swietenia*), beete (*Dalbergia latifolia*), kamara (*Hardiwiekea binata*), honne (*Pterocarpus marsupium*), shrigandha (*Santalum album*), sagade (*Schleichera oleosa*), matti (*Terminalia tomentosa*), tare (*Terminalia bellerica*), hale, halgouri (*Wrightia tinctoria*), jalari (*Shorea*), etc;

AND WHEREAS, Rare, Endangered and Threatened (RET) species of mammals found in Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve) are tiger (*Panthera tigris*), leopard (*Panthera pardus*), jungle cat (*Felis chaus*), leopard cat (*Felis bengalensis*), wild dog (*Cuon alpinus*), elephant (*Elephas maximus*), gaur (*Bos gaurus*), sambar (*Cervus unicolor*), spotted deer (*Axis axis*) barking deer (*Muntiacus muntjac*), mouse deer (*Tragulus meminna*) Indian wild boar (*Sus scrofa*), pangolin (*Manis crassicaudata*) common langur (*Presbytis entellus*) bonnet macaque (*Macaca radiata*) slender lorries (*Loris tardigradus*), small Indian civet (*Viverricula indica*), Malabar civet (*Viverra megaspila*) common palm civet (*Paradoxurus hermaphroditus*), common mongoose (*Herpestes edwardsi*), striped-necked mongoose (*Herpestes vitticollis*) brown mongoose (*Herpestes fuscus*), sloth bear (*Melursus ursinus*), giant flying squirrel (*Petaurista petaurista*), Malabar giant squirrel (*Ratufa indica*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), Indian hare (*Lepus nigricollis*), common otter (*Lutra lutra*), striped hyena (*Hyaena hyaena*), jackal (*Canis aureus*), dusky striped squirrel (*Funambulus sublineatus*), grey musk shrew (*Suncus murinus*), Indian pipistrelle (*Pipistrellus coromandra*), flying fox (*Pteropus giganteus*), slender loris (*Loris tardigradus*) common palm civet (*Paradoxurus paradoxurus*), etc;

AND WHEREAS, Rare, Endangered and Threatened (RET) species of birds found in Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve) are jungle babbler (*Turdoides striatus*), black-headed babbler (*Rhopocichla atriceps*), common babbler (*Turdoides caudatus*), rufous-bellied babbler (*Dumetia hyperythra*), slaty-headed scimitar-babbler (*Pomatorhinus schisticeps*), spotted babbler (*Pellorneum ruficeps*), quaker babbler (*Alcippe poioicephala*), red-whiskered bulbul (*Pycnonotus jocosus*), red-vented bulbul (*Pycnonotus cafer*), yellow-browed bulbul (*Hypsipetes indicus*), white-browed bulbul (*Pycnonotus luteolus*), black bulbul (*Hypsipetes madagascariensis*), ruby-throated bulbul (*Pycnonotus melanicterus gularis*), pied bushchat (*Saxicola caprata*), collared bushchat (*Saxicola torquata*), black red start (*Phoenicurus ochruros phoenicuroid*), blackbird (*Turdus merula*), black-headed bunting (*Emberiza melanocephala*), crimson breasted barbet (*Megalaima haemacephala*), crimson throated barbet (*Megalaima rubricapilla rubricapilla*), large green barbet (*Megalaima zeylanica*), chestnut-headed bee-eater (*Merops leschenaultia*), blue bearded bee-eater (*Nyctoyornis athertoni*), green bee-eater (*Merops orientalis*), Malayan night heron (*Gorsachius melanolophus*), etc;

AND WHEREAS, Rare, Endangered and Threatened (RET) species of snakes found in Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve) are king cobra (*Ophiophagus Hannah*), Indian cobra (*Naja naja*), common Indian krait (*Bungarus caeruleus*), Russel's viper (*Vipera russellii*), bamboo pit viper (*Trimeresurus gramineus*), hump nosed pit viper (*Hypnale hypnale*), common worm snake (*Typhlina bramina*), shield tail (*Uropeltis ocellatus*), Indian rock python (*Python molurus*), trinket snake (*Coelognathus Helena*), common kukri snake (*Oligodon arnensis*) bronze-backed tree snake (*Dendrelaphis tristis*), flying snake (*Chrysopelea ornate*), checkered keelback snake (*Xenochrophis piscator*), etc;

AND WHEREAS, Rare, Endangered and Threatened (RET) species of reptiles found in Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve) are common crocodile (*Crocodylus porosus*), monitor lizard (*Varanus flavescens*), mugger or harsh crocodile (*Crocodylus palustris*), Indian black turtle (*Melanochelys trijuga*), Indian flapshell turtle (*Lissemys punctata*), Roux's forest calotes (*Calotes rouxii*), draco or flying lizard (*Draco dussumieri*), chamaeleon (*Chamaeleo Zeylanicus*), keeled Indian Mabuya (*Mabuya carinata*), common Indian monitor (*Varanus bengalensis*), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve) which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.0 kilometre to 12.5

kilometres around the boundary of Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve), in Chikkamagaluru and Shivamogga districts in the State of Karnataka as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 1.0 kilometre to 12.5 kilometres around the boundary of Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve) and the area of the Eco-sensitive Zone is 740.56 square kilometres.
 - (2) The boundary description of Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve) and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
 - (3) The maps of the Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve) demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**.
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve) and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure III**.
 - (5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
 - (6) The list of notified Reserve Forests located within the Eco-sensitive Zone of Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve) is appended as **Annexure-V**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Karnataka Pollution Control Board; and
 - (xii) Public Works Department.
 - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
 - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
 - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
 - (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
 - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
 - (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
 - (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
 - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
 - (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
 - (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
 - (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
 - (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
 - (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
 - (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio Medical Waste Management shall be as under:-
 - (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
 - (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
 - (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition

Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

- (13) **E-waste.**- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**- The protection of hill slopes shall be as under:-
(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011, Amendment thereunder and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
7.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws
B. Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
11.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Adventure motor sports.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Regional Commissioner, Mysuru	Chairman, ex officio
(ii)	Hon'ble Member of Legislative Assembly, Chikmagalur Constituency, Chikkamagaluru District	Member;
(iii)	Hon'ble Member of Legislative Assembly, Sringeri Constituency, Chikmagalur District	Member;
(iv)	Hon'ble Member of Legislative Assembly, Tarikere Constituency, Chikmagalur District	Member;
(v)	Hon'ble Member of Legislative Assembly, Bhadravathi Constituency, Shivamogga District	Member;
(vi)	Hon'ble Member of Legislative Assembly, Shivamogga Constituency, Chikkamagaluru District	Member;
(vii)	Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka	Member;
(viii)	Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka	Member;
(ix)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(x)	Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore	Member;
(xi)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State nominated by the Government of Karnataka	Member;
(xii)	Member of the State Biodiversity Board	Member;
(xiii)	Deputy Commissioner or his representative, Chikkamagaluru District	Member;
(xiv)	The Chief Conservator of Forests & Director, Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve), Chikkamagaluru	Member-Secretary

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure VI**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/14/2016-ESZ-RE]

Dr SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

ECOSENSITIVE ZONE AROUND BHADRA WILDLIFE SANCTUARY (TIGER RESERVE) IN THE STATE KARNATAKA

North:-

The boundary starting from the tri-junction bandhs of Kakanahosudi-Siddamaji Hosur and Kaithottlu villages, the line runs towards North-East direction along the northern boundary of Kakanahosudi - Bairapura -Umblebylu and Hunasekatte village to meet the tri-junction bandh of Hunasekatte-Huliyaramankoppa & Kalanayakanakatte village.

East:-

Then the line runs towards South east, South, South West and South East direction along the Eastern boundary of Hunasekatte, Thammadihalli, Gonibeedu, Mallenahalli, Thavarearghatta, Nellisara, Hunasenahalli, Kanchikoppa, Doddakundur, Haruvanahalli and Baragenahalli to meet the corner bandhs of Bargenahalli and Waddaradibba villages and then line runs in the South easterly direction along the Eastern boundary of Baragenahalli, Gurupura, Waddarabeeranahalli, Nandibattlu, Ranganathapura, Kallathipura, Kamanadurga, Attigiri villages and then the line runs towards South Easterly direction along the Eastern boundaries of Dattathreya peeta, Kolagame, Malagaru, Kolagame, Pandaravalli villages. Then the line runs along the boundary of Byaravalli and meets the tri-junction bandhs of Byaravalli-Channagondanahalli & Jakkanahalli village.

South:-

Then the line runs towards the South East, North West, South west direction along the Southern boundaries of Byravalli, Siravase, Bogase, Basapura, Kadavanthi and Devadana villages and meets the tri-junction bandhs of Devadana, Bannur and B.Kanaboor village in the Bank of Bhadra river.


West: -

Further, the line runs in the North West North East directions along the Western boundaries of Devadana-Kerehadlu and cross the Bhadra river, Maduguni, Kolale and Aduvalli villages meets the tri-junction bandhs of Aduvalli- Western boundary of Alehalli, Sarya, Salur and meets the tri-junction bandhs of Salur-Nandigave and Hebbe villages. Then the line runs all along the Western boundary of the Bhadra reservoir, Armballi Reserve Forest along the boundary of Lingapura village and meets the starting point.

All the forest and Non-forest area within the above described outer boundary is the Eco-sensitive Zone, excluding the area already in the core area of the Bhadra Wildlife Sanctuary (Tiger Reserve).

ANNEXURE- IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BHADRA WILDLIFE SANCTUARY (TIGER RESERVE) ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-III

**TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF BHADRA WILDLIFE
SANCTUARY (TIGER RESERVE)**

Map ID	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	13	45	12.96	75	33	52.92
2	13	44	38.40	75	36	5.04
3	13	46	10.20	75	36	15.12
4	13	45	56.88	75	37	24.96
5	13	44	7.80	75	38	5.64
6	13	42	53.28	75	37	10.92
7	13	41	31.56	75	37	58.44
8	13	40	4.08	75	39	48.96
9	13	39	30.96	75	42	10.80
10	13	37	43.32	75	43	8.76
11	13	39	2.88	75	43	11.64
12	13	37	41.52	75	44	34.44
13	13	36	24.84	75	44	50.64
14	13	34	44.40	75	42	0.00
15	13	34	19.20	75	38	10.32
16	13	31	21.72	75	35	21.48
17	13	33	0.00	75	41	20.40
18	13	29	59.64	75	42	31.68
19	13	25	48.00	75	41	40.20
20	13	27	8.64	75	40	14.88
21	13	23	35.88	75	38	48.84
22	13	26	10.32	75	38	30.12
23	13	27	36.36	75	36	2.16
24	13	45	12.96	75	35	8.16
25	13	44	38.40	75	33	21.24
26	13	24	27.72	75	31	42.60
27	13	24	9.36	75	32	54.60
28	13	26	31.56	75	34	4.80
29	13	23	15.36	75	34	13.44
30	13	22	35.76	75	31	45.84
31	13	23	1.32	75	31	0.48
32	13	22	43.32	75	29	29.40
33	13	23	58.56	75	29	7.80
34	13	24	42.12	75	30	35.64
35	13	25	21.72	75	29	56.76
36	13	26	48.84	75	31	24.60

37	13	29	20.76	75	31	44.40
38	13	33	8.28	75	34	27.12
39	13	34	56.64	75	35	47.76
40	13	34	58.80	75	34	58.80
41	13	40	8.04	75	33	23.40
42	13	41	24.36	75	35	20.76
43	13	42	13.68	75	34	17.04
44	13	40	37.56	75	34	0.84
45	13	42	43.20	75	33	45.00
46	13	44	21.12	75	33	56.52
47	13	44	23.28	75	31	48.00
48	13	33	23.76	75	44	56.40
49	13	32	13.92	75	45	38.16
50	13	32	40.20	75	46	28.56
51	13	30	56.16	75	46	27.12
52	13	30	3.60	75	44	13.20
53	13	31	5.16	75	44	22.20
54	13	24	27.72	75	31	42.60

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Map id	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	13	45	43.92	75	31	38.64
2	13	45	55.08	75	32	32.64
3	13	46	37.20	75	34	26.04
4	13	47	52.80	75	34	49.08
5	13	47	53.88	75	38	11.40
6	13	45	57.60	75	38	39.84
7	13	45	41.04	75	39	39.60
8	13	43	34.68	75	40	31.80
9	13	42	8.28	75	39	39.24
10	13	41	17.52	75	42	36.00
11	13	41	30.12	75	44	25.08
12	13	36	20.52	75	47	11.76
13	13	33	47.88	75	47	48.48
14	13	31	48.72	75	47	34.44
15	13	30	30.96	75	50	0.24
16	13	26	44.16	75	45	48.24
17	13	24	29.52	75	43	14.52
18	13	23	24.36	75	40	38.64
19	13	20	57.12	75	38	48.48

20	13	22	31.80	75	35	39.12
21	13	20	30.84	75	33	37.08
22	13	22	7.68	75	32	17.52
23	13	17	41.64	75	33	23.76
24	13	19	55.20	75	28	26.40
25	13	20	9.96	75	26	19.68
26	13	22	57.72	75	26	6.72
27	13	26	0.24	75	28	40.80
28	13	28	26.76	75	28	19.92
29	13	30	20.16	75	27	57.96
30	13	31	24.60	75	31	17.76
31	13	33	25.20	75	31	47.64
32	13	34	24.60	75	34	59.16
33	13	36	46.08	75	34	1.92
34	13	34	37.20	75	31	29.64
35	13	35	35.88	75	30	54.36
36	13	36	42.48	75	32	22.56
37	13	38	13.20	75	33	25.20
38	13	37	0.12	75	29	57.12
39	13	39	25.56	75	33	25.20
40	13	39	39.24	75	31	59.88
41	13	39	52.20	75	33	11.16
42	13	39	44.28	75	28	55.20
43	13	41	21.12	75	28	22.44
44	13	42	53.28	75	27	57.24
45	13	44	27.24	75	29	53.16

ANNEXURE-IV

**LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF BHADRA WILDLIFE
SANCTUARY (TIGER RESERVE) ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Map ID	Village	Taluk	District	Area in ha	Latitude			Longitude		
					Deg	Mins	Secs	Deg	Mins	Secs
1	Lakkavalli	Tarikere	Chikmagalur	382.21	13	42	11.16	75	39	16.56
2	Hunesenahalli	Tarikere	Chikmagalur	190.71	13	41	53.52	75	38	36.60
3	Upparbhiranahalli	Tarikere	Chikmagalur	132.56	13	41	28.68	75	39	4.68
4	Kenchikoppa	Tarikere	Chikmagalur	497.77	13	41	14.64	75	39	49.32
5	Doddakundur	Tarikere	Chikmagalur	537.96	13	40	35.76	75	40	53.76
6	Haruvanahalli	Tarikere	Chikmagalur	269.58	13	40	7.32	75	42	19.80
7	Baragenahalli	Tarikere	Chikmagalur	244.30	13	40	47.64	75	42	28.08
8	Gurupura	Tarikere	Chikmagalur	89.12	13	39	33.84	75	43	38.28
9	Guddadabiranahalli	Tarikere	Chikmagalur	417.88	13	38	19.32	75	43	57.36

10	Nandibattalu	Tarikere	Chikmagalur	1568.01	13	35	42.36	75	46	6.60
11	Manchethavaru	Tarikere	Chikmagalur	711.16	13	34	41.52	75	44	48.12
12	Thigada	Tarikere	Chikmagalur	703.63	13	34	34.68	75	45	40.68
13	Tanigebyle	Tarikere	Chikmagalur	667.51	13	34	26.76	75	42	42.48
14	Kamanadurga	Tarikere	Chikmagalur	1558.67	13	31	12.00	75	47	54.60
15	Ranganathapura	Tarikere	Chikmagalur	674.93	13	35	42.36	75	46	6.60
16	Singanamane	Bhadravathi	Shivamogga	568.62	13	43	11.28	75	38	3.84
17	Vadiyuru	Bhadravathi	Shivamogga	111.80	13	42	59.04	75	38	52.80
18	Thavareghatta.	Bhadravathi	Shivamogga	86.27	13	43	37.92	75	38	51.00
19	Mallenahalli	Bhadravathi	Shivamogga	293.64	13	43	49.80	75	39	37.08
20	Nellisara	Bhadravathi	Shivamogga	140.15	13	43	18.12	75	39	36.36
21	Hunasekatte	Bhadravathi	Shivamogga	1307.61	13	47	7.08	75	37	22.80
22	Thammadihalli	Bhadravathi	Shivamogga	347.71	13	45	43.92	75	37	59.88
23	Gonibeedu	Bhadravathi	Shivamogga	300.02	13	44	54.96	75	38	59.28
24	Malligenahalli	Bhadravathi	Shivamogga	543.98	13	44	26.16	75	38	45.24
25	Umblebylu	Shivamogga	Shivamogga	423.89	13	46	45.84	75	35	4.20
26	Kakanahosudi	Shivamogga	Shivamogga	163.23	13	45	27.36	75	32	36.96
27	Byrapura	N.R.Pura	Chikmagalur	1230.71	13	44	58.20	75	34	31.08
28	Dandubittahara	N.R.Pura	Chikmagalur	1307.51	13	34	41.88	75	39	36.36
29	Aduvalli	N.R.Pura	Chikmagalur	1622.76	13	26	57.84	75	29	22.56
30	Kolale	N.R.Pura	Chikmagalur	683.75	13	24	55.80	75	29	30.48
31	Alehalli	N.R.Pura	Chikmagalur	298.86	13	28	16.32	75	30	14.76
32	B Kanabur	N.R.Pura	Chikmagalur	1293.27	13	22	32.88	75	27	0.72
33	Saarya	N.R.Pura	Chikmagalur	261.26	13	30	47.52	75	32	0.24
34	Saloor	N.R.Pura	Chikmagalur	622.91	13	33	54.00	75	33	16.20
35	Madhuguni	N.R.Pura	Chikmagalur	1116.19	13	23	4.20	75	28	13.19
36	Kesavinamane	Chikmagalur	Chikmagalur	2973.82	13	32	4.20	75	44	5.64
37	Melinhuluvathi	Chikmagalur	Chikmagalur	2656.65	13	28	46.20	75	42	7.56
38	Kolagame	Chikmagalur	Chikmagalur	2374.55	13	27	11.52	75	44	3.12
39	Jagara	Chikmagalur	Chikmagalur	1092.16	13	25	54.48	75	39	53.64
40	Malagar	Chikmagalur	Chikmagalur	533.89	13	26	33.00	75	42	42.48
41	Byaravalli	Chikmagalur	Chikmagalur	1572.37	13	22	16.32	75	39	24.12
42	Siravase	Chikmagalur	Chikmagalur	2036.36	13	24	14.40	75	36	50.40
43	Sugadavani	Chikmagalur	Chikmagalur	2398.59	13	26	28.32	75	35	43.44
44	Bidare	Chikmagalur	Chikmagalur	2115.75	13	24	48.96	75	32	9.60
45	Bogase	Chikmagalur	Chikmagalur	675.31	13	23	36.96	75	34	57.72
46	Basapura	Chikmagalur	Chikmagalur	472.45	13	22	42.24	75	33	6.84
47	Shiragola	Chikmagalur	Chikmagalur	429.17	13	26	43.80	75	33	6.48
48	Kadavanthi	Chikmagalur	Chikmagalur	1563.04	13	21	40.32	75	34	15.96
49	Devadhana	Chikmagalur	Chikmagalur	950.27	13	19	39.00	75	31	57.72
50	Melugiri	Chikmagalur	Chikmagalur	237.33	13	31	1.92	75	47	31.20

51	Hipla	Chikmagalur	Chikmagalur	298.51	13	32	58.20	75	37	32.16
52	Kallathipura	Tarikere	Chikmagalur	357.00	13	32	36.96	75	46	57.00
53	Lingapura	Shivamogga	Shivamogga	531.00	13	44	58.56	75	31	45.48
54	Attigiri	Chikmagalur	Chikmagalur	600.00	13	30	24.12	75	47	13.20
55	Dattathreya peeta	Chikmagalur	Chikmagalur	258.00	13	28	19.92	75	45	15.84
56	Pandaravalli	Chikmagalur	Chikmagalur	2188.00	13	24	3.96	75	41	28.68
57	Nandigave	Chikmagalur	N.R Pura	977.00	13	32	16.80	75	35	55.68
			Total:	48661.36						

ANNEXURE-V

LIST OF NOTIFIED RESERVED FORESTS LOCATED WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF BHADRA WILDLIFE SANCTUARY (TIGER RESERVE)

Sl. No.	District	Name of the Reserved/ Minor Forests	Division	Area in sq km	Go. No/ Notificaion No. & Date
1.	Chikkamagaluru	Kusgal RF	Koppa	46.15	R 7131-FT-58-03-14, Dt:11-12-1905
2.	Chikkamagaluru	Kolale MF	Koppa	4.60	G.143202-.Ft.7-29-3, Dt:08.05.1930
3.	Chikkamagaluru	Alehalli MF	Koppa	1.37	G.143202-.Ft.7-29-3, Dt:08.05.1930
4.	Chikkamagaluru	Aduhalli MF	Koppa	2.99	(i) G-13604-FT-7-29-49 Dt: 19.05.1930
5.	Chikkamagaluru	Devadana RF	Koppa	4.55	R 3373-FT-75-10-7, Dt 29-10-1911
6.	Chikkamagaluru	Madhuguni MF	Koppa	8.00	R 7131-FT-58-03-14, Dt:11-12-1905
7.	Chikkamagaluru	Saluru MF	Koppa	4.08	(i) G-13625-FT-29-40 Dt: 20.05.1930
8.	Chikkamagaluru	Tanigebail MF	Bhadravathi	4.73	G-2072 /FT-7-29-53, Dt:16.8.1930
9.	Chikkamagaluru	Gurupura RF	Bhadravathi	5.40	(i) R.8969.72 Ft.118.15.4/18.3.1916 (ii) R.8973-Ft.118.15-5/ 18-03-1916
10.	Chikkamagaluru	Thimmapura RF	Bhadravathi	8.09	G-739-FT-62-26-5, Dt:30-05-1927 S-429-32-FT-62-26-4, Dt:30-05-1927
11.	Chikkamagaluru	Nandibatlu MF	Bhadravathi	3.60	GOG-5795-FT-33-39-61 Dt:01- 12-1930
12.	Chikkamagaluru	Masakali RF	Chikkamagaluru	22.83	AG2257-FT 38-44-2, Dt:22- 11-1944
13.	Chikkamagaluru	Suguduvani	Chikkamagaluru	2.15	Sec 4.AHFF-21-FAF-93 Dt:08-09-1993
14.	Chikkamagaluru	Kundur MF	Bhadravathi	11.89	i) G-5780-FT-33-30-56, Dt: 01.12.1930
15.	Shivamogga	Tammadihalli RF	Bhadravathi	8.05	(i) R-12431-Ft.114-16-4/ 27-03-1919 (ii) R-12427-30-Ft.114-18- 4/27.03.1919
16.	Shivamogga	Umblebyle RF	Bhadravathi	14.40	GR 5907-8-Ft/34-85-6 Dt:16-04-1905
17.	Shivamogga	Kakanhosudi RF	Bhadravathi	9.06	No.R. 1971-Ft-166-099 Dt:03-11-1909
18.	Chikkamagaluru	Aramballi RF	Koppa	62.63	No.R-4087-Ft-29-05-5 Dt:25-09-1905
19.	Chikkamagaluru	Tyagadabhagi RF	Bhadravathi	20.14	No.R-407-Ft F39-95, Dt:31-12-1900
20.	Chikkamagaluru	Kodihalli MF	Koppa	1.57	G -131-71-Ft-7-29-27

					Dt:08-05-1930
21.	Chikkamagaluru	Basavanakote RF	Koppa	7.57	No. 931 -10403 Dt:19-06-1904
			Total	253.85	

ANNEXURE –VI**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.